

श्री 1228  
1917  
22/3/18

राजस्थान सरकार  
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पार्ट

दिनांक: 22 मार्च, 2018

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(सारी रुपयों में)

| क्र.सं. | भद                  | बी.एड./<br>शिक्षाशास्त्री | एम.एड./<br>शिक्षा-आचार्य | बी.पी.एड./ एम.<br>पी.एड. | बी.ए.-बी.एड./<br>बी.एड.- एम.एड.<br>बी.एस.सी.-बी.<br>एड. |
|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1.      | शिक्षण शुल्क        | 17880.00                  | 17880.00                 | 17880.00                 | 17880.00  |
| 2.      | विविध शुल्क         | 4440.00                   | 4440.00                  | 4440.00                  | 4440.00   |
| 3.      | कम्प्यूटर शुल्क*    | 960.00                    | -                        | -                        | 960.00  |
| 4.      | अन्य<br>गतिविधियां* | 3600.00                   | -                        | -                        | 3600.00   |
|         | योग                 | 26880.00                  | 22320.00                 | 22320.00                 | 26880.00  |

\*(क्र.सं. 3 व 4 परे वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-शुल्क का भदवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

| क्र.सं.                  | भद             | बी.एड./<br>शिक्षाशास्त्री | एम.एड./<br>शिक्षा-आचार्य | बी.पी.एड./<br>एम.पी.एड. | बी.ए.-बी.एड./<br>बी.एस.सी.-बी.एड./<br>बी.एड.- एम.एड. |
|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| <b>(A) कार्यालय व्यय</b> |                |                           |                          |                         |  |
| 1.                       | प्रवेश शुल्क * | 36                        | 36                       | 36                      | 36   |
| 2.                       | कॉशन मनी *     | 180                       | 180                      | 180                     | 180  |
| 3.                       | प्रमाण-पत्र    | 24                        | 24                       | 24                      | 24   |
| 4.                       | विकास शुल्क    | 840                       | 840                      | 840                     | 840  |
| 5.                       | बिजली-पानी     | 840                       | 840                      | 840                     | 840  |
| 6.                       | परीक्षा        | 300                       | 300                      | 300                     | 300  |
| 7.                       | विविध          | 60                        | 60                       | 60                      | 60   |
|                          | योग (A)        | 2280                      | 2280                     | 2280                    | 2280   |

| (B) छात्र कोष |                         |         |         |         |
|---------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 1.            | खेलकूद                  | 180     | 180     | 180     |
| 2.            | पुस्तकालय               | 540     | 540     | 540     |
| 3.            | कला, संगीत एवं संस्कृति | 180     | 180     | 180     |
| 4.            | मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला | 180     | 180     | 180     |
| 5.            | शैक्षिक तकनीकी          | 360     | 360     | 360     |
| 6.            | कार्यशाला/कार्यानुभव    | 360     | 360     | 360     |
| 7.            | विज्ञान शुल्क           | 180     | 180     | 180     |
| 8.            | आकरिमक व्यय             | 180     | 180     | 180     |
|               | योग (B)                 | 2160    | 2160    | 2160    |
|               | महायोग (A+B)            | 4440.00 | 4440.00 | 4440.00 |

(\* कार्यालय व्यय के क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा )

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018-19/आगामी सत्रों के लिए संगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कौशल मन्दी मद की राशि को छोड़कर, शेष शुल्क संबन्धित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कौशल विकास उपलब्ध करवाएं।

  
 (डॉ० राजेंद्र जोशी)  
 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि-11, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।